मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

मॉडल प्रश्नपत्र- सामान्य अध्ययन- द्वितीय प्रश्नपत्र

प्रश्न-1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

1. बघेलखंड का पठार
2. मध्यप्रदेश में जलोढ़ मिट्टी
3. मध्यप्रदेश में चूना पत्थर
4. मध्यप्रदेश में वन
5. जल उपभोक्ता समिति
6. मध्यप्रदेश में पवन ऊर्जा
7. मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम
8. गोकुल ग्राम प्रकल्प योजना
9. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
10. राज्य निर्वाचन आयोग
11. लोकायुक्त
12. जिला योजना समिति
13. भवभूति
14. राजा भैया पूँछवाले
15. कलगी-तुर्रा
16. बुन्देली लोकगीत
17. देवयानी कृष्ण
18. वधूमूल्य
19. सिंगाजी का मेला
20. कालीदास सम्मान

उत्तर-1- 1. बघेलखंड का पठार-बघेलखंड का पठार मध्यप्रदेश राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थित है। वर्तमान मध्यप्रदेश में बघेलखंड पठार के अंतर्गत आने वाले मुख्य जिले शहडोल तथा सीधी हैं। बघेलखंड का पठार 1500 मीटर से अधिक ऊँचा-नीचा तथा कटा-फटा प्रदेश है। गौंडवाना शैल समूह इस प्रदेश की विशेषता है। वस्तुत: इस प्रदेश में तीन शैल समूह मिलते हैं। जो इस प्रकार हैं- गौंडवाना शैल समूह, विन्ध्यन शैल समूह तथा आद्यमहाकल्पी शैल समूह। मध्यप्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के शैल समूहों ने इस प्रदेश के उच्चावच एवं स्थलाकृति को प्रभावित किया है। बघेलखंड के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। जिसके कारण यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ गर्मी उष्णार्द एवं शीत ऋतु सामान्य एवं शुष्क होती है। यहाँ सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। इसके अलावा ज्वार, तिल व अलसी अन्य प्रमुख फसले हैं। यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन मिलते हैं। साल, सागौन, तेंदू तथा तिन्सा यहाँ के प्रमुख वन हैं। सोन इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है।

2. मध्यप्रदेश में जलोढ़ मिट्टी-मध्यप्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में मुख्य रूप से मिलती है। इस मिट्टी का प्रदेश में क्षेत्रफल लगभग 30 लाख एकड़ है। यह मिट्टी बुंदेलखंड नीस एवं चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थ से निर्मित है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं जैव तत्वों की कमी के कारण वनस्पति के अभाव के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में वर्षा भी कम होती है।

3. मध्यप्रदेश में चूना पत्थर -मध्यप्रदेश चूना पत्थर का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ पाए जाने वाले चूने के पत्थर में 40 से 50 प्रतिशत तक चूने की मात्रा पाई जाती है। कटनी, जबलपुर, मुड़वारा आदि क्षेत्र में चूना पत्थर के निक्षेप प्राप्त होते हैं। खरगोन, धार, सतना, नरसिंहपुर तथा झाबुआ में भी चूने का पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर के विशाल भंडार के ही कारण मध्यप्रदेश सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श राज्य माना जाता रहा है।

4. मध्यप्रदेश में वन- मध्यप्रदेश वनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308.2 हजार वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इसका लगभग 76,429 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में अधिक वन क्षेत्र है। मध्यप्रदेश में 8593.7 हजार हेक्टेयर वन भूमि है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 35 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में कुल वन क्षेत्र के 17.88 प्रतिशत भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष 16.54 प्रतिशत भाग पर हैं। राज्य के 33 प्रतिशत से कम भू-भाग पर वन पाए जाने वाले जिलों में वनारोपण हेतु पंचवन योजना चलाई जा रही है। मध्यप्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती तथा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं।

5. जल उपभोक्ता समिति- सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, 1999 पारित किया गया है। नई व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश में सिंचाई प्रबंधन का काम अब किसान स्वयं सँभालेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में नहरों की सिंचाई शाखाओं के रखरखाव और संचालन में किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का बेहतर रखरखाव संभव हो सकता है। वृहत परियोजनाओं के लिए 812 जल उपभोक्ता समितियाँ, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 221 समितियाँ, लघु परियोजनाओं के लिए 1340 जल उपभोक्ता समितियाँ गठित की गई हैं।

6. मध्यप्रदेश में पवन ऊर्जा- पवन ऊर्जा एक गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। मध्यप्रदेश में वायु वेग साधारण होने के बाद भी पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत शक्ति का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए लागत तथा 15 मेगावॉट क्षमता की देश की प्रथम संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी मध्यप्रदेश विंड फार्मस् लि. प्रदेश में गठित की गई। पवन ऊर्जा से राज्य में कुल 21.69 मेगावॉट क्षमता की विद्युत परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। प्रदेश की नई ऊर्जा नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए 240 मेगावॉट क्षमता की इकाई स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

7. मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम- मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सितंबर, 1965 को हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता और नवीन उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। वर्ष 1981-82 में इस निगम के दायित्वों में विस्तार किया गया एवं इसे एक प्रेरक संस्था का स्वरूप दिया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्यप्रदेश में संतुलित एवं समग्र विकास तथा उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के 4 औद्योगिक केंद्र विकास निगमों की इंदौर, जबलपुर, रीवा तथा ग्वालियर में स्थापना की गई। इस निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विकास केंद्रों में 245 वृहद एवं मध्यम तथा 1.12 हजार लघु उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों में लगभग 13.27 हजार करोड़ रुपय से अधिक का पूँजी निवेश हुआ है तथा लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

8. गोकुल ग्राम प्रकल्प योजना- 25 सितंबर, 2004 से प्रारंभ की गई इस योजना के तहत चुनींदा गाँवों का एक वर्ष में समन्वित ढंग से पंच-ज के आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर एकीकृत विकास किया जाता है। इन गाँवों में सभी आधारभूत सुविधाएँ जुटाई जाती हैं। गोकुल ग्राम योजना का प्रारंभ भोपाल के निकट ग्राम सलैया से किया गया। प्रत्येक गोकुल ग्राम में 10 लाख रुपए की लागत से उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने लगभग 20 हजार गाँवों को सर्वसुविधा संपन्न गोकुल ग्रामों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

9. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना- 25 सितंबर, 2004 से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के लोगों का इलाज शासन द्वारा अपने खर्च से कराया जाता है। इस पर एक वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 20 हजार रुपए की राशि शासन द्वारा व्यय की जाती है।

10. राज्य निर्वाचन आयोग- 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। मध्यप्रदेश में अगस्त 1994 में पारित अधिनियम के अंतर्गत एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों में स्थानीय संस्थाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाताओं का पंजीयन करवाना, ग्राम, पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों का गठन करवाना, मतदान प्रबंधन, चुनाव परिणामों की घोषणा, आचार संहिता का निर्माण एवं पालन करवाना, चुनाव चिन्ह आवंटन आदि सम्मिलित हैं।

11. लोकायुक्त- लोक प्रशासन में कदाचार, अधिकारों का दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1982 पारित किया गया। लोकायुक्त की नियुक्ति मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री व विधायक एवं राज्य के पदाधिकारी इसकी जाँच के दायरे में आते हैं। लोकायुक्त द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ऐसी सभी शिकायतों की जाँच की जा सकती है जिनका विषय शिकायत की दिनांक से 5 वर्ष से अधिक पुराना न हो।

12. जिला योजना समिति- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 243(यघ) द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान किया गया। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करने के लिए एवं एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति गठित की गई है। इस समिति को स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों को अभिनिर्धारित करने तथा जिला स्तर पर प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने तथा उनकी रूपरेखा तैयार करने जैसे कार्य सौंपे गए हैं। जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 25 निर्धारित की गई है।

13. भवभूति- भवभूति संस्कृत नाट्य तथा काव्य साहित्य के नक्षत्र मंडल के सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत्र हैं । भवभूति सातवीं ईसवीं में कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी विद्वान थे। भवभूति की तीन रचनाएँ ज्ञात हैं। ये हैं- मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ये तीनों रचनाएँ नाटक हैं। भवभूति एक भाव प्रवण कवि हैं। चरित्र चित्रण में वे एक सिद्धहस्त नाटककार हैं। वे अनेक रसों के सिद्ध कवि हैं। मानवीय भावों की गहराई में प्रवेश करने तथा उन्हें उसी प्रकार मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करने में भवभूति नितांत दक्ष हैं। संस्कृत साहित्याकाश में भवभूति का अन्यतम स्थान सदैव बना रहेगा।

14. राजा भैया पूँछवाले- राजा भैया पूँछवाले का पूरा नाम बालकृष्ण आनंद राव आष्टेकर था। राजा भैया मुख्य रूप से ख्याल गायक थे। किन्तु ठुमरी एवं टप्पे को भी प्रवीणता से गाते थे। राजा भैया को हारमोनियम वादन में भी प्रवीणता हासिल थी। ग्वालियर शाखा के लोकप्रिय और 45 रागों के अत्यंत सीमितदारों स्वरब पारंपरिक अनंत गीतों का उनका भंडार आश्चर्यजनक है। पंडित भातखंडे ने राजा भैया को अखिल भारतीय मंच पर प्रतिष्ठित किया। राजा भैया को पं. भातखंडे ने माधव संगीत विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी। संगीत के क्षेत्र में गीता की तरह सम्मानित भातखंडे विरचित क्रमिक पुस्तिका 'मलिका' में राजा भैया का योगदान बहुत ज्यादा एवं प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त राजा भैया ने तान, संगीतोपासना, ठुमरी, तरंगिनी आदि पुस्तकों की रचना की। आपको वर्ष 1956 में संगीत के लिए राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।

15. कलगी-तुर्रा- कलगी-तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायक की शैली है। यह लोक गायन निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड तथा मंडला में बहुत प्रसिद्ध है। चंग की थाप पर रात्रि में कलगी-तुर्रा गाया जाता हैं। इसके दो अखाडे होते हैं, एक कलगी अखाड़ा तथा दूसरा तुर्रा अखाड़ा। इसमें आशु कविता के साथ पौराणिक आख्यानों से लेकर वर्तमान प्रसंगों को सवाल-जवाब के माध्यम से पारंपरिक गायकी में पिरोया जाता है। कलगी दल शक्ति और तुर्रा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। गोगाँवा के सुमेरसिंह सुमन और कसरावद के मनसाराम इस समय क्रमश: तुर्रा और कलगी के सबसे बड़े उस्ताद हैं।

16. बुन्देली लोक गीत- श्रृंगार एवं शौर्य की धरा बुंदेलखंड की संस्कृति एवं कला सबसे भिन्न है। यहाँ के लोक गीत में श्रृंगार एवं शौर्य के भाव प्रकट होते हैं। यहाँ के लोक गीत के दो मुख्य स्वर हैं, एक षड़ज तथा दूसरा मध्यम। बुन्देली लोक गीतों के विषय पारिवारिक पृष्ठभूमि लिए हुए होते हैं, जिनमें लोक गीत की सामाजिकता का समावेश होता है। जितने भी प्रकार के लोक राग देश में प्रचलित हैं, वे सभी बुन्देली लोक गीतों की परम्परा में प्रयुक्त हुए हैं। बुन्देली लोक गीतों में लोक धुनों की माधुर्यता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है।

17. देवयानी कृष्ण- देवयानी कृष्ण मध्यप्रदेश की प्रख्यात चित्रकार हैं। इंदौर के प्रसिद्ध कलाकार डी.डी. देवलालीकर से आपने प्रारंभिक कला का ज्ञानार्जन किया। आपने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स से पेन्टिंग में डिप्लोमा किया। आपने तिब्बत के अनेक विशेष स्थानों के दृश्य चित्र और जनजीवन के चित्र बनाए जिनमें सामान्य व्यक्तियों के चित्रों के साथ-साथ त्यौहारों आदि के चित्र भी थे। चूँकि आप खिलौने भी बनाती थीं इसलिए आपके कुछ चित्रों पर खिलौनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपके मृग चित्र में काण्ठ कला का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। आपके चित्रों में तिब्बती मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन आकर्षक रंगों और ओजपूर्ण नृत्य मुद्राओं में चित्रित है।

आपने यथार्थवादी चित्रण के अतिरिक्त प्रतीकात्मक चित्रांकन भी किया। 1946 में आपको अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला। आपके चित्रों की प्रदर्शनी भारत सहित कई देशों में लगी तथा आपको ढेरों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

18. वधूमूल्य- जनजातीय समाजों में वैवाहिक संबंधों के दौरान वधूमूल्य का प्रचलन है। जब कोई कुछ शुल्क भुगतान कर वधू प्राप्त करता है तो यह भुगतान ही वधूमूल्य कहलाता है। लगभग सभी जनजातीय समाजों में यह प्रथा किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। मध्यप्रदेश की जनजातियों में भी यह प्रथा व्यापक रूप से पाई जाती है।

19. सिंगाजी का मेला- सिंगाजी का मेला प्रतिवर्ष क्वांर माह में पश्चिमी निमाड़ के ग्राम पिपल्या में भराता है। यह मेला एक सप्ताह तक चलता है। सिंगाजी जो कि एक चरवाहा थे, वे 400 वर्ष पूर्व यहाँ रहा करते थे। अनेक चमत्कारों एवं अलौकिक घटनाओं के कारण वे एक सिद्ध पुरुष बन गए। उन्हीं की याद में यहाँ यह मेला भराता है।

20. कालिदास सम्मान- कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाने वाला यह राष्ट्रीय सम्मान शास्त्रीय संगीत, कला, रंगकर्म एवं रूपंकर के क्षेत्र में अपनी कला में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले साहित्यकारों और कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना का उद्देश्य कला क्षेत्र में रचनात्मक एवं सृजनात्मक कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल शास्त्रीय संगीत के लिए ही दिया जाता था, किन्तु बाद में तीन और क्षेत्रों के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। इस पुरस्कार के तहत 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न-2. मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस की अवधारणा किस प्रकार आकार ले रही है? मध्यप्रदेश की विभिन्न संस्थानों को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु कौन-कौनसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर-2. कल्याणकारी राज्य के लिए विकास और सुशासन दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके आधार पर उन्नति और प्रगति का मार्ग बनता है, विकास के लिए सुशासन पहली शर्त है। सुशाशन के लिए सबसे जरूरी है उपलब्ध तकनीकी और प्रौद्योगिकी का सकारात्मक उपयोग। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं।

ई-गवर्नेंस मध्यप्रदेश के लिए एक घटनाक्रम है जो पिछड़े राज्यों को एक करने में अपनी भूमिका निभाएगा। आईटी के प्रवर्तनकारी गुणों ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। अपनी लोक हितैषी सेवाओं के पदार्पण के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को भी सजह बनाया है। ई-गवर्नेन्स से पारदर्शिता में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर धीरे-धीरे विराम लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के बहाल होने और संचार क्रांति के कारण आईटी ने जनता की आत्मनिर्भरता में वृद्धि की है।

जहाँ तक सवाल मध्यप्रदेश का है तो प्रदेश के लगभग सभी विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई-गवर्नेंस के तहत नेटवर्किंग से जुड़ गए हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर ई-गवर्नेंस स्टाफ तैयार किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस रणनीति के अंतर्गत विचार किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कियोस्क खोले जाएँ जहाँ से किसान ई- मेल के द्वारा सरकार और सेवा प्रदान करने वालों के संपर्क में रहें। ई-गवर्नेंस की दिशा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी महत्वपूर्ण सरकारी परिपत्र वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं।

जन सुविधा केंद्र योजना का नाम समाधान एक दिन है। यह राज्य सरकार की सेवा वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए जन केंद्रित कोशिश है। यह अब जिला दफ्तरों में अलग-अलग प्रमाण-पत्र एवं दूसरे जरूरी कागजातों के वितरण में सहायता कर रहा है। अभी यह प्रबंध जिला स्तर पर है। भविष्य में इनको खंड एवं तहसील स्तर पर बढ़ाने की शिव सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इन केंद्रों के माध्यम से जनता कई तरह के प्रमाण-पत्र जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, दुकान की स्थापना के अंतर्गत पुन: नवीनीकरण प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा से नीचे की सूची का प्रमाण पत्र, एनओसी, ड्रायविंग लाइसेंस, अस्थायी परिवहन प्रमाण-पत्र, अस्थायी बिजली कनेक्शन, रोजगार रजिस्ट्रेशन, कामगारों का पहचान-पत्र, कामगारों के क्रियाकर्म में सहायता, मेटरनिटी सहायता, एफीडेविड इत्यादि आवेदन-पत्र सभी प्रमाण-पत्रों के साथ जमा करने पर उसी दिन शाम को चार बजे तक पा सकते हैं।

प्रदेश के सभी विधायकों को मूलभूत कम्प्यूटर संचालन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में उत्तमकार्यों के लिए पुरस्कार जैसे अनेक ई-

गवर्नेंस के कार्य प्रदेश में अनवरत चल रहे हैं।

आईटी पार्क, एसईजेड़- (विशेष प्रक्षेत्र जोन), एमपी स्वान (एमपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी की दिशा में ब्लाक स्तर तक पूरे राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। स्टेट डाटा सेंटर, इंदौर, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिलों में ई- डिस्ट्रिक्ट परियोजना, भोपाल एवं इंदौर शहर वायफाय सुविधायुक्त होंगे, जी-2जी के अंतर्गत मंत्रालय का कम्प्यूटरीकरण, समाधान ऑनलाइन के अलावा मंत्रालय से संबंधित ई-गर्वेंस की परियोजनाएँ।

मध्यप्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर योजना के तहत 9232 ई-गुमठियाँ स्थापित होंगी। प्रदेश के लगभग सभी ब्लॉक मुख्यालय पर ई-गुमठियों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन ई-गुमठियों के जरिए 16 हजार से अधिक बेरोजगारी को रोजगार उपलब्ध होगा। एमपी ऑनलाइन, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन, कॉल सेंटर, किसानों के लिए एमपी कृषि डॉट ओआरजी, परिवहन विभाग में ई-सेवाएँ, छात्रों की सुविधा के लिए एमपी ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के साथ-साथ अन्य परीक्षा के फॉर्म ऑन लाइन, कॉमर्शियल टेक्स राज्य सरकार इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करती है। ई-टेंडरिंग,वैट, एमपी ट्रांसपोर्ट की इंटरनेट सेवाएँ, वन विभाग में आईटी को अपनाया गया।

मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के कोषालयों में कम्प्यूटराइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत सरकार का गोल्डन आईकॉन पुरस्कार, आईटी क्षेत्र का प्रतिष्ठित मंथन अवार्ड, सागर जिले को बेस्ट ई-गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार, आईटी के उपयोग के लिए इंडिया टेक एक्सीलेंस अवार्ड 2006, मध्यप्रदेश को ई-गवर्नेंस श्रेष्ठ प्रोजेक्ट लागू करने के लिए तीन सीएस आई निहीलेण्ट अवार्ड 2006-07, समाधान ऑन लाइन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में स्थापित टेली भुगतान सेवा को भारत सरकार का राष्ट्रीय गोल्डन आईकॉन अवार्ड मिले हैं। हाल ही में ई-गवर्नेंस हेतु सी.एस.आई. निहीलेण्ट पुरस्कार 2007-08 मिला है। कहा जा सकता है कि ई गवर्नेंस संकल्पना को अब ठोस आकार मिल रहा है। स्वर्णिम मध्यप्रदेश की नींव आईटी क्षेत्र में की गई पहल से और मजबूत हो रही है।

प्रश्न-3. क्रांतिदर्शी गायक कुमार गंधर्व की गायकी का सारगर्भित विश्लेषण करें।

उत्तर-3. पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा ने स्वयं शिव, सरस्वती और नारद को संगीत का वरदान दिया था और वह मानवीय साधना का सर्वोत्तम रूप लेते हुए विकसित होता गया। संगीत को अद्‌भुत और अद्वितीय बनाने में न जाने कितने भक्तों, साधकों और संगीतज्ञों ने अपनी सारी जिंदगी अर्पित कर दी। संगीतज्ञों का नाम लेते ही सबसे पहले तानसेन का सहज ही स्मरण हो आता है। यह सुखद संयोग है कि ग्वालियर के साथ उनकी कालजयी स्मृति और अवदान जुड़ा हुआ है तथा वहाँ संगीतज्ञों की एक भरी-पूरी जमात ने उनकी विरासत को जीवित रखा है। उधर मैहर में स्व. उस्ताद अलाउद्दीन खाँ ने अपनी ऐतिहासिक साधना से मैहर को संगीत की पुण्य स्थली में तब्दील कर दिया वहीं सुरों की दुनिया को नया संस्कार और परिष्कार देते हुए स्व. कुमार गंधर्व ने देवास को संगीत के एक पावन तीर्थ का स्वरूप दे दिया।

दरअसल कुमार गंधर्व का सांगीतिक अवदान लोक माधुर्य की सर्जना का ही उत्कर्ष है। जिस प्रकार साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के सधुक्कड़ी संसार की महिमा से साहित्य को परिचित कराया, वैसे ही कुमार ने कबीर की सांगीतिक स्थापना की। कबीर को कंठ में उतारा, राग जोगिया में उतारा, धूनी और चिमटे में उतारा और अंततः संगीत की समूची शास्त्रीय परंपरा में उतारकर यह सिद्ध किया कि कुंडलिनी के जागरण के गीत संगीत की भाषा में उतरकर किस प्रकार जनवाणी बन जाते हैं, लोक मंगल की मधुरिमा में बदल जाते हैं? इस प्रकार कुमार गंधर्व ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में संत-साहित्य की गेय परंपरा को उत्कर्ष प्रदान कर यह भी सिद्ध किया कि तुलसी, सूर या कबीर मात्र साहित्य की ही निधि नहीं हैं, बल्कि उनकी लोक चेतना को बहुश्रुत बनाकर रागात्मक बनाने का काम संगीत बखूबी कर सकता है। इसका एक आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने आगे आने वाली संगीतज्ञों की पीढ़ी के सामने पेश किया।

कुमार गंधर्व इस सांस्कृतिक संत आभा को लाए थे कर्नाटक की मंदिर परम्परा से, भजन परम्परा से, संत गायन परम्परा से। संत साहित्य में यदि मीरा के गायन को सुब्बालक्ष्मी ने अमर किया, तो कबीर के इकतारे की धुन और उलटबाँसियों की जोगिया तानें कुमार कंठ में आकर संगीत की अमर कृतियाँ बन गईं। कुमार गंधर्व ने संगीत को उसकी शास्त्रीय जटिलताओं से मुक्त कर सहज, सरल और अधिक लोकोन्मुखी बनाया तथा विलंबितों और अलापों की उबाऊ शैली को ठीक उसी प्रकार कंठ संगीत में सँजो दिया जिस प्रकार रविशंकर ने वाद्य-संगीत के अंतर्गत सितार के जरिए अंजाम दिया।

कुमार गंधर्व का एक प्रकार से पूरे मालवा और मध्यप्रदेश पर अमूल्य ऋण है। कुमार गंधर्व ने मालवा के लोक गीतों में भी नव-राग-सृष्टियाँ कीं। उनके होली-गीत और होली के अवसर पर इंदौर की गलियों में मालव-संगीत की रंग-बिरंगी धुनों के साथ गाते-बजाते घूमना, आज भी याद दिलाता है कुमार के कबीरी फक्कड़पन की, मालव-मिट्टी में रोम-रोम से संगीत बनकर समा जाने की और एक ऐसी रसमयता रचने की जो कुमार के बाद भी अनुगूँज बनकर, चामुण्डा पहाड़ी की प्रतिध्वनि बनकर गूँजती रहेगी।

कर्नाटक संगीत का उन्होंने जिस सहजता से उत्तरी संगीत में सामंजस्य किया, वह उनकी चिरस्थायी याद बनकर हमारे पास युगों-युगों तक रहेगा। कावेरी की धारा ने नर्मदा और शिप्रा की लहरों में जो संगीत उढ़ेला है, उज्जैन के महाकाल का किसी संत-संगीतज्ञ का इससे बढ़िया अभिषेक और क्या हो सकता था ?

कुमार गंधर्व की गायकी में गजब की ऊर्जा थी। संगीत के समीक्षक उन्हें एक ताकतवर विद्रोही और क्रांतिदृष्टा के रूप में देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की जड़ता को तोड़ा तथा आधुनिक जरूरतों के मुताबिक उसे नया रूपाकार देने की कोशिशें की। प्रत्येक राग के एक-एक स्वर के लगाव के पीछे उनका एक खास सुपरिभाषित सोच दिखाई देता है। खुद के बनाए राग गांधार कहने को तो पुराना गांधार है, मगर दोनों के बीच कुमार की अपनी विशिष्ट प्रयोगशीलता स्पष्ट नजर आती है। एक गांधार राग में उन्होंने कितनी ही उप गांधार रागें घोल दी। सच तो यह है कि यदि उन्हें कबीर का संगीतात्मक संस्करण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

कुमार गंधर्व इस अर्थ में भी क्रांतिकारी थे कि वे अपने गायन में शब्दों के बजाय सुरों को प्रधानता देते थे। उनका कहना था कि राग संगीत में बोलने का काम सुर का है, शब्दों का नही॥ संगीत में शब्दों को बक-बक करने की इजाजत वही संगीतज्ञ दे सकता है, जिसके पास सुरों का टोटा हो। वे अक्सर यह कहा करते थे कि संगीत बहुत ही सूक्ष्म और जटिल विधा है। अपने आप में उसमें माधुर्य का पूरा संसार होता है। संगीत को उन्होंने एक उच्च मगर सहज भाव भूमि पर प्रतिष्ठित किया।

अगर पं. ओंकारनाथ ठाकुर नहीं हुए होते तो शायद कुमार गंधर्व जैसा अद्वितीय गायक भी पैदा नहीं होता। पंडितजी के स्वर लगाव की पद्धति को अपनी गायकी में उतारकर ही कुमार गंधर्व ने मौलिकता का अपना निहायत ही नया शिखर रचा था। दक्षिण और उत्तर भारत के संगीत के सुमधुर और सशक्त सेतु बनकर उभरे कुमारजी की शिष्य मंडली सारे देश में फैली हुई है। वे अपनी अनूठी स्वरचित रागों तथा अपने शिष्यों की साधना में अब भी जीवित हैं और सदैव जीवित रहेंगे। कुमारजी उन विरले गायकों में से थे, जिन्होंने परम्परा को प्रयोग की पैनी धार भी दी तथा उनकी स्निग्धता की भी बखूबी रक्षा की।

प्रश्न-4. साँची के बौद्ध स्तूप की स्थापत्य कला को स्पष्ट करे।

उत्तर-4. साँची के स्तूप जिला रायसेन में स्थित हैं। साँची विदिशा से दक्षिण में 10 किमी और भोपाल से उत्तर में 45 किमी की दूरी पर स्थित है। साँची की खोज 1818 ई. में जनरल डायर ने की थी। सन् 1891 ई. में कनिंघम एवं एफ.सी. मैशी ने उत्खनन कराया एवं स्तूप का संरक्षण किया। महावंश के उल्लेखानुसार अशोक जब उज्जयनी का राजा था, तब उसने विदिशा के सेठ की कन्या महादेवी के प्रभाव से स्तूप का निर्माण साँची में कराया था। साँची के स्तूप नं. 01 का निर्माण मौर्यकाल में हुआ, परंतु समय-समय पर यहाँ स्तूप के आकार-प्रकार, अलंकरण आदि में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होते रहे। शुंग-सातवाहन काल में स्तूप के अण्ड भाग पर प्लास्टर किया गया। स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार का निर्माण, उस पर उत्कीर्ण एक लेखानुसार, सातकर्णी-द्वितीय के समय हुआ। गुप्तकाल में इस स्तूप के समीप अनेक छोटे-छोटे स्तूप निर्मित हुए। प्रतिहार, परमार आदि राजवंशों के शासनकाल में भी यहाँ अनेक गतिविधियाँ संपन्न हुईं। भू-वेदिका, मेधि, अण्ड हरमिका छत्र, यष्टि आदि स्तूप की संरचना के प्रमुख वास्तु अंग हैं।

भू-वेदिका- स्तूप के चतुर्दिक भू-वेदिका का निर्माण किया गया है। यह अंड के व्यास से अधिक व्यास का है। अंड और भू-वेदिका के बीच एक निश्चित दूरी है, जो संभवत: प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। भू-वेदिका के निर्माण में आलंबन, स्तम्भ, सूची और ऊष्णीय नामक वास्तु अंगों का उपयोग किया गया है। यह वास्तु अंग पाषाण से निर्मित हैं।

मेधि (मध्य वेदिका)- मेधि का निर्माण स्तूप की ऊँचाई के मध्य में किया गया है। इसके निर्माण में भी भू-वेदिका की तकनीक और सामग्री का प्रयोग किया गया है। मेधि और अंड के बीच में पुन: एक निश्चित दूरी प्रदक्षिणा पथ हेतु छोड़ी गई है। मेधि पर जाने के लिए स्तूप के धरातल से वर्तमान में दक्षिणी तोरण द्वार की तरफ मेधि तक पहुँचने के लिए सोपान निर्मित हैं।

अण्ड-स्तूप का प्रमुख वास्तु अंग, जो सूर्य के प्रतीक के रूप में बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, अण्ड के नाम से जाना जाता है। मौर्यकाल में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिस पर शुंगकाल में एक इंच मोटा प्लास्टर किया गया। यह अर्द्धवृत्ताकार या अर्द्धचंद्राकार है।

हरमिका- स्तूप के शीर्ष भाग पर वर्गाकार हरमिका निर्मित है, जिसके निर्माण में स्तम्भ, सूची और ऊष्णीश का विधान है। भू-वेदिका, मेधि और हरमिका में तीन-तीन सूचियाँ आड़ी दिशा में लगाई गई हैं। स्तम्भों में सूची की चौड़ाई के आकार का छेद काटकर सूचियों को उनमें फँसाया गया है। स्तूप के शीर्ष पर निर्मित हरमिका के केंद्र बिन्दु में पाषाण निर्मित यष्टि (दंड) आरोपित है जिसमें तीन छत्र नीचे से ऊपर की तरफ घटते क्रम में लगाए गए हैं। ये तीनों छत्र क्रमश: बुद्ध, धर्म, संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तोरण द्वार- तोरण द्वार के निर्माण में स्तम्भ, बड़ेरियाँ, सूचियाँ आदि वास्तु अंगों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर से निर्मित हैं। तोरण द्वार में दो स्तम्भों पर तीन बड़ेरियाँ लगाई गई हैं, बड़ेरियों पर बुद्ध की जातक कथाओं, उनके जीवन दृश्यों एवं आलंकारिक अभिप्रायों को अंकित किया गया है। बड़ेरियों के दोनों किनारों पर चक्रपुंज बनाए गए हैं। तोरण द्वार में बड़ेरियों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए तीन-तीन सूचियाँ ऊपर से नीचे लगाई गई हैं।

प्रश्न-5. राज्य महिला हॉकी अकादमी द्वारा महिला खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उत्तर-5. पाँचवाँ एशिया कप कुआलालम्पुर (मलेशिया) में गत 13 से 21 दिसंबर, 2008 तक आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त कर छठवें जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है। उल्लेखनीय है कि इस एशिया कप में नौ देशों की टीमों ने भाग लिया था। भारतीय टीम में मध्यप्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की सात खिलाड़ी शामिल थीं। इन्होंने एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य महिला अकादमी को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आगामी 3 से 16 अगस्त, 2009 को होने वाली छठवीं जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कुआलालम्पुर में मध्यप्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की कुमारी अनुराधा और कुमारी मनोरमा ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण गोल दागकर विश्व में मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। यह भी ध्यातव्य है कि प्रतियोगिता के दौरान भारत की तरफ से 22 गोल दागे गए, जिसमें से 11 गोल राज्य महिला अकादमी ग्वालियर की खिलाड़ियों द्वारा दागे गए थे।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी, ग्वालियर की नींव ग्वालियर में 30 मार्च, 2006 को तत्कालीन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा रखी गई थी। अकादमी का निर्माण जिला खेल परिसर कम्पू लश्कर, ग्वालियर में लगभग 10 करोड़ रुपए लागत से किया जा रहा है। जिला खेल परिसर में हॉकी ग्राउण्ड फ्लड लाइट युक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य खेलों के भी मैदान, इंडोर हॉल, प्रशासनिक भवन, छात्रावास आदि हैं। अकादमी में 14 से 18 वर्ष तक की बालिका खिलाड़ियों का तीन वर्ष के लिए चयन किया जाता है। चयनित खिलाड़ियों को योग्य प्रशिक्षकों द्वारा उच्च स्तर का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, आवास, खेल किट, मासिक खेल वृत्ति, शैक्षणिक व्यय एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्धारित मापदंड अनुसार आहार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथैरेपी, अत्याधुनिक फिटनेस सेन्टर एवं सर्व-सुविधा युक्त लाइब्रेरी आदि की सुविधाएँ दी जाती हैं।

अकादमी की परिकल्पना इस उद्देश्य के लिए की गई है कि इसमें देश की बालिका हॉकी प्रतिभाओं का सही आयु में चयन कर उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। देश में हॉकी का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के कई अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस परम्परा को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मापदंड का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। प्रतिवर्ष माह मई-जून में हॉकी अकादमी ग्वालियर में चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया जाता है। जिससे खेल कौशल एवं फिटनेस के आधार पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक द्वारा ही खिलाड़ियों का चयन किया जाता है।

वर्तमान में ग्वालियर की अकादमी में 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं, जिसमें से लगभग 10 बालिका खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि राज्य महिला हॉकी अकादमी महिला खेल प्रतिभाओं को एक नया आकाश देगी तथा खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय रचेगी।

■■